राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.1422 सीसी/स्वा.का.पु./2018/528 दिनांक : 6/3/18

आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला आदेश क्रमांकःएफ.20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 दिनांक 25.1.92, क्रमांक एफ.16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 17.2.98 एवं क्रमांकःएफ. 20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 पार्ट–I दिनांक 21.12.93 के निर्देशन में निम्न वर्णित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) को उनके पदोन्नति पदो की वेतन श्रृंखलाएं कर्मचारियों के प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार भिन्न–भिन्न आदेशो से चयनित वेतन श्रृंखलाओं के रूप में स्वीकृत की गई थी। कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट दायर कर स्वयं का पद एकल पद मानते हुए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 दिनांक 25.1.92 के पैरा 5 में वर्णित अनुसार चयनित वेतन श्रृंखला चयनित वेतनमान के रूप में स्वीकृत करने हेतु निवेदन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर चयनित वेतन श्रृंखला आदेश के पैरा 5 के अनुसार दिये जाने के निर्देश जारी किये है।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) पद साधारण वेतन श्रृंखला का सीधी भर्ती का पद है, विभागीय प्रशिक्षण एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एमपीडब्ल्यू (मेल) पद पर नियुक्ति दे दिये जाने के कारण इन कर्मचारियों ने वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.1.92 के पैरा 5 के अनुरूप 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 1200–2050/4000–6000 एवं 1400–2600/5000–8000 की मांग की गई।

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 23.11.17 के विरूद्ध आगे अपील दायर नही करने का निर्णय लिया जाकर आदेश की पालना करने के लिए निदेशालय द्वारा निम्न प्रकरण में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे गये।

क.सं.	याचिकाकर्ता	रिट सं.	निर्णय दि.
1.	माणिकचन्द व अन्य 3 (सतीशचन्द जैन, मुकेश चन्द जैन, सतोष कुमार जैन)	21333/17	23.11.17

राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101800722 दिनांक 12.02.18 एवं प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 245 दिनांक 14.02.18 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय की पालना के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप उपरोक्त रिट में वर्णित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) जिन्हे नियुक्ति अधिकारी द्वारा एमपीडब्ल्यू (मेल) पद पर नियुक्तियां प्रदान की गई थी, को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को अतिक्रमित करते हुए वित्त विभाग के निर्देश एवं विभाग के वित्तीय सलाहकार से जांच उपरांत याचिकाकर्ताओं को उनकी नियमित नियुक्ति दिनांक से अवधि की गणना करते हुए 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला क्रमशः 1200–2050/4000–6000 एवं 1400–2600/5000–8000 स्वीकृत की जाती है। याचिकाकर्ताओं को दिनांक 1.1.2006 के पश्चात नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

PTO .....

G:\Order from 28-11-17.doc

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान स्वीकृति में यदि कार्मिक को उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानो के अनुसार सही की गई है तथा वेतन स्थिरीकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है तथा संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान एरियर का पूर्व में भुगतान नही किया गया है एवं नियम विरूद्व अधिक भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, की शर्त पर दी जाती है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांकःएफ.1422 सीसी/स्वा.का.पु./2018/528 दिनांक : 6/3/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101800722 दिनांक 12.02.18 के कम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 245 दिनांक 14.02.18 के कम में।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि, वेतन स्थिरीकरण व राशि की गणना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी भरतपुर को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय ड्यू–ड्रान एवं संशोधित एलपीसी की प्रति कार्मिक एव अधिकारी केस एवं निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
8. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमारा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

G:\Order from 28-11-17.doc